न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 1136 / 2005 / धौलपुर

1– रोशन,
2– रामजीलाल,
दोनों पुत्रगण गजाधर निवासीगण ग्राम कोलारी हाल आबाद सैंपउ।
3– गिर्राज प्रसाद,
4– पप्पू,
5– ब्रजमोहन,
6– राजू,
7– नीरज,
8– शीला देवी,
9– राधा,
अपीलार्थी सं. 3 से 9 विधिक उत्तराधिकारी रामस्वरूप, निवासीगण ग्राम कोलारी हाल आबाद सैंपउ।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1– छीतरिया,
2– सुरेश,
3– बासदेव,
समस्त पुत्रगण उदयसिंह, जाति ब्राहम्ण, निवासी कोलारी, तहसील सैंपउ।
4– चन्द्रभान सिंह,
5– रामवकील,
6– विशम्भर दयाल,
7– बाबूलाल,
8– ओमप्रकाश,
समस्त पुत्रगण बेदरिया, जाति बघेला, निवासीगण कोलारी, तहसील सैंपउ।
9– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सैंपउ।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री खजान सिंह, सदस्य
श्री अविनाश चौधरी, सदस्य

उपस्थित :–

श्री ओ.एल. दवे, विद्वान अभिभाषक वास्ते अपीलार्थीगण।

श्री राजेश गौतम, विद्वान अभिभाषकगण प्रत्यर्थीगण।

निर्णय **दिनांक 10–10–2022.**

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर केम्प धौलपुर (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.02.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलार्थीगण ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् खातेदारी घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व दुरूस्ती इन्द्राज का विरूद्ध प्रतिवादी/प्रत्यर्थीगण न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) धौलपुर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कोलारी स्थित विवादित आराजियात में वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के साथ संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 चालाक किस्म के व्यक्ति है, जिन्होंने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर संपूर्ण आराजी पर अपना नाम दर्ज करा लिया तथा खसरा संख्या 221 व 222 प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 को हस्तांतरित कर दी। अब प्रतिवादीगण ने वादीगण को काश्त नहीं करने देने की धमकी दी, जिस पर यह वाद प्रस्तुत कर वादीगण को विवादित आराजी में 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने व रेकार्ड में इन्द्राज कराये जाने व प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर डिक्री किया जावे। विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) धौलपुर ने अपने निर्णय दिनांक 31.03.2003 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/ वादीगण ने प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील

प्राधिकारी भरतपुर के यहां प्रस्तुत की, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.02.2005 द्वारा अपीलार्थीगण की अपील खारिज करते हुये विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री बहाल रखा। उक्त निर्णय दिनांक 15. 02.2005 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3— उभय पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एक ही पूर्वज देवसुख की संतान है। देवसुख के दो पुत्र मूलचंद व गनपत थे। मूलचंद के गजाधर व पदमसिंह हुए बाद में पदमसिंह की मृत्यु हो गई व गजाधार के अपीलार्थी, गणपत के चुन्नी, प्यारे, बालकिशन व भूपसिंह 4 चार पुत्र हुए, जिनमें अंतिम तीन निःसंतान फौत हो गए। चुन्नी के उदय और चंदन निःसंतान फौत हो गए। उदय के छीतरिया वगैरह रेस्पोडेन्ट वारिस हुए। विवादित भूमि हमारे पूर्वज देवसुख की थी, जिनमें से 1/2 हिस्सा अपीलार्थीगण का व 1/2 हिस्सा प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 का चला आता रहा, किन्तु राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज प्रतिवादी/प्रत्यर्थीगण का रहा, जिसमें से खसरा सं. 221 व 222 का बेचान प्रतिवादी सं. 4 से 8 को कर दिया। अपीलार्थी/वादीगण ने सही तथ्यों के आधार पर विवादित भूमि में घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद विचारण सहायक कलेक्टर के समक्ष पेश किया, जिनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विवेचन व विश्लेषण किए बिना ही गैर कानूनी रूप से वादीगण का वाद दिनांक 31.03.2003 को खारिज कर दिया तथा केवल मात्र तनकी संख्या 1 का ही निर्णय किया व शेष तनकीयात का निर्णय ही नहीं किया। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत सिजरा को कोई मान्यता नहीं दी गई और न ही प्रतिवादी ने विकल्प में कोई सिजरा प्रस्तुत किया। वादीगण ने देवसुख के इन्द्राजात को प्रस्तुत किया और उसके बाद उनकी संतानों में से कोई एक परिवार अपने अकेले के नाम इन्द्राजात करवा लेता है तो दूसरे परिवार का हक नहीं माना जा सकता है तथा अपीलीय न्यायालय ने भी उक्त तथ्यों की गहराई में गए

बिना ही और तनकीयात का विवेचन व विश्लेषण किए बिना ही अपील को गलत व गैर कानूनी रूप से खारिज कर दिया। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्राकृतिक एवं कानूनी नियमों अनदेखी करते हुये नियमो से परे वादीगण का वाद खारिज किया है। अंत में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर वादी का वाद डिक्री किया जावे। अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस के दौरान कुछ न्यायिक दृष्टांतों का उल्लेख किया और बहस के पश्चात् पेश करने का निवेदन किया, लेकिन अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से कोई न्यायिक दृष्टांत पेश नहीं हुए, अतः किसी न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया जाना संभव नहीं है।

4— उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अधिवक्तागण प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 ने अभिकथन किया कि विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 का निर्णय किया तथा तनकी संख्या 4 से 8 के विवेचन की आवश्यकता नहीं समझी। तनकी संख्या 2 लगायत 6 भी तनकी संख्या 1 पर आधारित है। तनकी संख्या 7 सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है जो तनकी संख्या 1 पर निर्भर है। यदि तनकी संख्या 1 का स्पष्ट विवेचन कर निर्णय दिया है तो निर्णय अवैधानिक नहीं माना जा सकता। अपीलार्थी का सजरा एडमिटेड नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने ओरल एवीडेंस से भी इसे सिद्ध नहीं कराया। अपीलार्थी ने ग्राम कोलारी में रहने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया तथा काश्त करने व सजरा आदि देने का भी साक्ष्य पेश नहीं किया है। संवत् 2014 से अब तक की खसरा जमाबंदी पेश की है और इसे ये फर्जी नहीं बता सकते तथा न ही अपीलार्थीगण ने इसे गलत सिद्ध किया है।

5— अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 4 लगायत 8 ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि कुल 14 खसरा विवादित है तथा उनका संबंध केवल खसरा सं. 221 व 222 से है तथा इनके गत खसरा 559 है। इसे हमने खातेदार अजमेर सिंह से 29.6.87 को खरीदा था तथा हमारी सोर्स ऑफ टिनेंसी रजिस्ट्री है तथा पूर्व के खातेदार की सोर्स ऑफ टिनेंसी भी रजिस्ट्री है।

अपीलार्थी/वादीगण ने पूर्व के खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया है। प्रतिवादी सं. 1 से 3 ने हमें बयनामा नहीं किया है। उक्त सिजरे से हम कोई संबंध नहीं रखते, यदि सिजरा सिद्ध भी हो जाये तो भी हमारे हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि इन्हें अधिकारों का प्रकांत होना रेकार्ड से सिद्ध करना पडेगा। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में लागू हुए तब अब्बास बेग के वारिस उक्त आराजी के खातेदार हो गए। संवत् 2012 में अब्बास वेग को खातेदारी अधिकार क्विएट हो गए, किंतु संवत् 2022 में खातेदारी अधिकार दी गई। भू प्रबंध के पहले भी ये खातेदार नहीं थे। जो खातेदार थे, उन्हें ये चेलेन्ज करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलार्थीगण ने संवत् 1981 की इंट्री को चेलेन्ट नहीहं किया जो एल.आर.एक्ट की धारा 40 में किया जाना चाहिए, इस प्रकार इनके विरूद्ध एस्टोपल का सिद्धांत लागू होगा। बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ अब्बास वेग को खातेदारी मिली, फिर हमें क्रमशः खातेदारी मिली। अपीलार्थी व इनके पूर्वज टिनेंसी एक्ट लागू होने के समय खातेदार नहीं थे। संवत् 1968 के रिकार्ड के आधार पर 90 वर्ष पश्चात् इनका अधिकार शेष नहीं रहता। यदि आराजी देवसुख की थी तो उसके अधिकार भी समाप्त हो गए और बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ हमें अधिकार क्विएट हो गए। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में ऐसी कोई विधिक या तथ्यात्मक भूल नहीं की गयी है कि द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप अपेक्षित हो। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिसमें किसी प्रकार की विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं है। अतः यह द्वितीय अपील खारिज की जावे।

6— उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

7— **अवधार्य प्रश्न :—**

आया योग्य विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) धौलपुर ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2003 पारित करने में तथा योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 15.02.2005 से योग्य

विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करने में विधि या तथ्य संबंधी कोई भूल कारित की है?

8— विनिश्चय :—

अपीलार्थी के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है।

विनिश्चय के कारण :—

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि योग्य अधीनस्थ विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, धौलपुर में अपीलान्ट/वादीगण रोशन वगैरह की ओर से रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण छीतरिया वगैरह के विरूद्ध एक राजस्व वाद संख्या 03/2000 अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर योग्य विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आठ विवाद्यक विरचित किए गए। विवाद्यक संख्या 1 व 2 को साबित करने का भार वादीगण पर था तथा विवाद्यक संख्या 3 लगायत 8 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। उभय पक्षों की साक्ष्य सुनवाई के पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 31.03.2003 पारित किया गया एवं वादी का वाद खारिज किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादीगण ने प्रथम विद्वान अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष एक अपील पेश की। प्रथम अपील न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 15.02.2005 को अपील खारिज करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की गई। अपीलार्थी/वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय के निर्णय में एकमात्र त्रुटि यह बताई कि विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 2 से 8 का निर्धारण पृथक से नहीं किया तथा प्रथम अपील न्यायालय के निर्णय में यह त्रुटि बताई है कि विचारण न्यायालय ने तनकीवार विवेचन नहीं करते हुए सीधे ही अपना निर्णय पारित किया है तथा इन आधारों पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त दोनों निर्णय अपास्त किये जाने योग्य बताये। आक्षेपित निर्णय दिनांक 31.03.2003 का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि विवाद्यक संख्या 1 का पर्याप्त रूप

से विस्तारपूर्वक विवेचन एवं विनिश्चयन योग्य विचारण न्यायालय द्वारा किया गया है। प्रकरण में विरचित विवाद्यक का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि विवाद्यक संख्या 1 विवादित आराजी की घोषणा के संबंध में है तथा विवाद्यक संख्या 2 उक्त आराजी के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष के संबंध में है। इस प्रकार विरचित विवाद्यकों व निर्णय का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि जब विवाद्यक संख्या 1 को वादीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे तो यह स्पष्ट ही है कि शाश्वत् आदेश उनके हक में जारी नहीं किया जा सकता। अतः उक्त विवाद्यक का अतिरिक्त कोई विवेचन अपेक्षित हीं नहीं था।

विवाद्यक संख्या 3 लगायत 8 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था तथा वे वादी के मामले के खण्डन के संबंध में है (हालांकि विवाद्यक संख्या 4 व 5 के आगे ऐसा अंकन नहीं है, किन्तु उक्त विवाद्यक की प्रकृति से यह स्पष्ट है कि उनको साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था)। जब विवाद्यक संख्या 1 वादी के पक्ष में विनिश्चित नहीं हुआ तथा उसी प्रकाश में विवाद्यक संख्या 2 भी वादी के विरूद्ध विनिश्चित हुआ है तो ऐसी स्थिति में वादी के मामले में खण्डन की कोई स्थिति शेष रहती ही नहीं है। अतः विवाद्यक संख्या 3 लगायत 8 के विवेचन की कोई आवश्यकता शेष ही नहीं थी। इस प्रकार योग्य अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.03.2003 के संबंध में यह नहीं माना जा सकता कि उक्त निर्णय पारित करने में न्यायालय ने आवश्यक समस्त विवाद्यकों का विवेचन एवं विनिश्चयन नहीं किया हो। इसी प्रकार प्रथम अपील न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय में तनकीवार विवेचन तभी आवश्यक था जब वह अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करता। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पुष्टि किये जाने वाले निर्णय में अपील न्यायालय को तनकीवार विवेचन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की दोनों प्रमुख आपत्तियां कोई बल नहीं रखती है तथा इस आधार पर अपील स्वीकार किये जाने का कोई आधार पत्रावली पर प्रकट नहीं होता है। अधीनस्थ

न्यायालय की पत्रावली से यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, जिससे संवत् 2012 अथवा संवत् 2016 के ठीक पूर्व के राजस्व अभिलेख में उनके पूर्वज काश्तकार के रूप में दर्ज होना प्रकट हो। वादीगण द्वारा केवल एक मिसलकियत संवत् 1968 प्रदर्श 6 पेश किया गया है, जिसमें इनके पूर्वज देवसुख का नाम दर्ज है, किन्तु संवत् 2012 व संवत् 2016 से पूर्व का कोई अभिलेख वादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। संवत् 2014 से 2017 के जो अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुए हैं, उनमें प्रतिवादीगण बतौर खातेदार दर्ज है। इस प्रकार भू प्रबंध संवत् 2022 से पहले भी वादीगण का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं था। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख के अवलोकन के आधार पर योग्य विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/वादीगण का वाद खारिज करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं की है तथा विद्वान प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने भी अपने निर्णय दिनांक 15.02.2005 द्वारा योग्य विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है। प्रकरण में विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपील न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष है, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार प्रकट नहीं होता है।

9— अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार यह स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2003 और प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.02.2005 के विरुद्ध प्रस्तुत हस्तगत द्वितीय अपील निराधार एवं सारहीन है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णयों में ऐसी कोई विधिक अथवा तात्विक त्रुटि जाहिर नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

10— परिणामतः हस्तगत अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया पत्रावली बाद फैसल शुमार दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय सुनाया गया ।

(अविनाश चौधरी) **(खजान सिंह)**

सदस्य **सदस्य**